



### आदेश पत्रक


न्यायालय : उपजिलाधिकारी  
 मण्डल : आगरा, जनपद : मथुरा, तहसील : सदर  
 वाद संख्या :- 14259/2025  
 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202501500114259  
 इंपेक्टम लैड्स प्रा० लि० बनाम उ० प्रा० सरकार  
 अंतर्गत धारा :- 38(2), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा जुल्हैदी

### आदेश

प्रार्थी/अधिकृत हस्ताक्षरी इंपेक्टम लैड्स प्रा० लि० द्वारा जिग्नेश नरेन्द्र गोस्लया पुत्र श्री नरेन्द्र गोस्लया निवासी हाल बी 25 माधव कुटीर चन्द्रोदय मंदिर अक्षयपात्र फाउंडेशन वृन्दावन मथुरा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 38(2) उ० प्रा० संहिता 2006 के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार मथुरा से कराई गई। तहसीलदार मथुरा ने अपनी आख्या दिनांकित 03.11.2025 में उल्लेख किया है कि मा० आयुक्त महोदय आगरा मण्डल आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 का आर० 06 में अमलदरामद करा दिया गया किन्तु ऑनलाइन कम्प्यूटर वाद संख्या न होने के कारण मा० आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश का रीयल टाइम खतौनी पर दर्ज नहीं हो पा रहा है। अन्त में कहा है कि रा० संहिता की धारा 38(2) के अन्तर्गत वाद पंजीकृत होने के उपरान्त ही मा० आयुक्त महोदय आगरा मण्डल आगरा द्वारा पारित आदेश रीयल टाइम खतौनी पर दर्ज किया जा सकेगा।

मैने तहसीलदार मथुरा की रिपोर्ट दिनांकित 03.11.2025 व मा० आयुक्त महोदय आगरा मण्डल आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2025 का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि मा० आयुक्त महोदय द्वारा मौजा जुल्हैदी के खसरा संख्या 88 एवं 63मि० से सम्बंधित विनिमय आदेश पारित किया गया है। अतः तहसीलदार मथुरा की आख्या के आधार पर मा० आयुक्त महोदय का विनिमय आदेश दिनांक 17.10.2025 को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जावे। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मथुरा को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु भेजी जावे। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो।  
 दिनांक:- 04.11.2025

  
 (अभिनव ज. जैन)  
 ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी,  
 मथुरा।

पृष्ठ संख्या :